विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय)

फाइल सं. एसईआरबी/भर्ती/01/2019

विज्ञापन सूचना सं. 01/2019

1. विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड, नई दिल्ली में, निम्नलिखित पदों को सीधी भर्ती अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन (अल्पकालिक संविदा सहित) के आधार पर, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार भरे जाने के लिए भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं।

क्रम सं.	पद का नाम	वेतनमान	पदों की संख्या	भर्ती का तरीका	आरक्षण
(i)	वैज्ञानिक 'जी'	पे मैट्रिक्स में स्तर – 14 (₹1,44,200-2,18,200)	03	सीधी भर्ती अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन (अल्पकालिक संविदा सहित)	2 अनारक्षित 1 अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)
(ii)	वैज्ञानिक 'सी'	पे मैट्रिक्स में स्तर – 11 (₹67,700-2,08,700)	01	सीधी भर्ती अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन (अल्पकालिक संविदा सहित)	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)

2. (i) वैज्ञानिक 'जी' के पद के लिए शैक्षिक अर्हताएं

(क) सीधी भर्ती (वैज्ञानिक 'जी') के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं :-

(क) अनिवार्य :

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राकृतिक अथवा कृषि विज्ञान में डॉक्टरेट की डिग्री अथवा इंजीनियरी अथवा प्रौद्योगिकी अथवा औषधि में स्नातकोत्तर डिग्री या समतुल्य।

(ii) औद्योगिक और अकादमिक संस्थानों अथवा विज्ञान और प्रौद्योगिकी संगठनों अथवा वैज्ञानिक कार्यकलापों और सेवाओं में अनुसंधान और विकास कार्य में पन्द्रह वर्षों का अनुभव, जिसमें से प्रशासन, आयोजना, विकास और विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों में सहयोग का सात वर्षों का अनुभव होना चाहिए।

(iii) विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम तैयार करने, प्रबंधन और निर्देशन करने का अनुभव; और

(iv) उच्च कोटि का प्रकाशित शोध कार्य।

टिप्पणी : अनिवार्य अर्हताओं के अर्जन में बिताई गई अवधि को अनुभव की अवधि में नहीं गिना जाएगा। तथापि, उन मामलों में, जहां डॉक्टरेट की डिग्री अनिवार्य अर्हता नहीं है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने में बिताई गई अवधि, अधिकतम चार वर्षों के अध्यधीन और किसी विश्वविद्यालय अथवा अनुसंधान संस्थान में डॉक्टरोत्तर अनुसंधान के लिए बिताई गई अवधि को जैसा कि विश्वविद्यालय अथवा संस्थान द्वारा प्रमाणीकरण से स्पष्ट होता है तथा प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में शोध कार्य के प्रकाशन हेतु बिताई गई अवधि तीन वर्ष के अध्यधीन, को अनुभव के रूप में गिना जाएगा।

वांछनीय : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा अनुसंधान संस्थान से प्राकृतिक और कृषि विज्ञान में डॉक्टरोत्तर अनुसंधान अथवा इंजीनियरी अथवा प्रौद्योगिकी अथवा औषधि में डॉक्टरेट की डिग्री जैसा कि ऐसे विश्वविद्यालय अथवा संस्थान द्वारा प्रमाणीकरण से स्पष्ट होता है और प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में शोध कार्य का प्रकाशन।

(ख) श्रेणियां, जिनसे प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की जानी है (वैज्ञानिक 'जी') :-

भारत में केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सांविधिक अथवा स्वायत्त संगठनों में कार्यरत वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीविद:

(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं; अथवा

(ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत प्राप्त ग्रेड में पे-मैट्रिक्स के स्तर 13'ए' (₹1,31,100-₹2,16,600) में (पूर्व संशोधित पीबी - 4, ₹37,400-₹67,000 + ₹8900 ग्रेड पे) में दो वर्ष की सेवा कर चुके हों; अथवा

(iii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत प्राप्त ग्रेड में पे-मैट्रिक्स के स्तर 13 (₹1,23,100-₹2,15,900) (पूर्व संशोधित पीबी - 4, ₹37,400-₹67,000 + ₹8700 ग्रेड पे) अथवा समकक्ष में चार वर्षों की सेवा कर चुके हों; और

(ख) उपरोक्त क्रम संख्या 2(i)(क)(क) के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं प्राप्त हो।

टिप्पण 1 : सामान्यत: प्रतिनियुक्ति की अवधि, इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग के अंतर्गत किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी, जिसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से वर्ष-दर-वर्ष आधार पर अधिकतम 5 वर्षों के अध्यधीन बढ़ाया जा सकता है।

टिप्पण 2 : पोषक प्रवर्ग में विभागीय अभ्यर्थी, जोकि नमनीय पूरक योजना (एफसीएस) के तहत स्वस्थाने पदोन्नति के लिए सीधे कतार में हैं, पर केवल संवर्ग बाह्य पदों, जिनके लिए वे पोषक ग्रेड अधिकारी नहीं हैं, के अलावा, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार एफसीएस के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त अधिकारी स्वस्थाने प्रोन्नति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

2(ii) वैज्ञानिक 'सी' के पद के लिए शैक्षिक अर्हताएं

(क) सीधी भर्ती (वैज्ञानिक 'सी') के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

(क) अनिवार्य :

(i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से प्राकृतिक अथवा कृषि विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा इंजीनियरी अथवा प्रौद्योगिकी अथवा औषधि में स्नातक डिग्री अथवा समतुल्य।

(ii) औद्योगिक और अकादमिक संस्थानों अथवा विज्ञान और प्रौद्योगिकी संगठनों में अनुसंधान और विकास का चार वर्षों का अनुभव।

(ख) वांछनीय :

मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से प्राकृतिक अथवा कृषि विज्ञानों में डॉक्टरेट की डिग्री अथवा इंजीनियरी अथवा प्रौद्योगिकी अथवा औषधि में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा समतुल्य।

टिप्पणी : अनिवार्य अर्हताओं के अर्जन में बिताई गई अवधि को अनुभव की अवधि में नहीं गिना जाएगा। तथापि, उन मामलों में, जहां डॉक्टरेटकी डिग्री अनिवार्य अर्हता नहीं है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने में बिताई गई अवधि, अधिकतम चार वर्षों के अध्यधीन और किसी विश्वविद्यालय अथवा अनुसंधान संस्थान में डॉक्टरोत्तर अनुसंधान के लिए बिताई गई अवधि को जैसा कि विश्वविद्यालय अथवा संस्थान द्वारा प्रमाणीकरण से स्पष्ट होता है तथा प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में शोध कार्य के प्रकाशन हेतु बिताई गई अवधि तीन वर्ष के अध्यधीन, को अनुभव के रूप में गिना जाएगा।

(ख) श्रेणियां जिनसे प्रतिनियुक्ति (लघु अवधि की संविदा सहित) की जानी है (वैज्ञानिक 'सी')

भारत में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या कानूनी स्वायत्त शासी संगठनों में कार्यरत वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीविद :

(क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं अथवा

(ii) पे मैट्रिक्स के स्तर–10 (₹56100–177500) (पूर्व संशोधित पीबी–3, ₹15600–39100, ग्रेड पे ₹5400 सहित) ग्रेड में नियुक्ति होने के पश्चात् नियमित आधार पर 2 वर्ष की सेवा की गई हो अथवा समतुल्य; और

(ख) उपरोक्त क्रम संख्या 2 (क)(क) के अधीन सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखता हो।

टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि इस नियुक्ति के पहले केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में धारित कोई अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित, जो सामान्यत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी, जिसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से वर्ष–दर–वर्ष आधार पर अधिकतम 5 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है।

टिप्पण 2 : पोषक प्रवर्ग में ऐसे विभागीय अभ्यर्थी, जोकि नमनीय पूरक योजना (एफसीएस) के तहत स्वस्थाने पदोन्नति के लिए सीधे पंक्ति में हैं पर, केवल संवर्ग बाह्य पदों, जिनके लिए वे पोषक श्रेणी अधिकारी नहीं हैं के अलावा, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति प्राप्त अधिकारी एफसीएस के तहत स्वस्थाने पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु, आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

सामान्य अनुदेश

1. भरे जाने वाले पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता **है। बोर्ड के पास यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि इस भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत विज्ञापन के उपरांत उत्पन्न रिक्तियों को मुख्य सूची अथवा प्रतीक्षा सूची में संस्तुत अभ्यर्थियों के पैनल की वैधता तिथि तक भर सकता है।** बोर्ड के पास यह अधिकार भी सुरक्षित रहेगा कि बिना कोई कारण बताए भर्ती को रद्द भी कर सकता है।

2. (i) विहित अनिवार्य अर्हताएं न्यूनतम हैं और केवल इन अर्हताओं को प्राप्त करने से ही अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का हकदार नहीं हो सकेगा।

(ii) बोर्ड की अपेक्षाओं और उद्देश्यों के अनुसार, बोर्ड एक सुपरिभाषित मानदंड के आधार पर छंटनी प्रक्रिया के माध्यम से, एक तर्कसंगत सीमा तक ही साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित कर सकता है, जिसमें वांछनीय अर्हता प्राप्त होना और / अथवा अधिसूचित विनियमों में विहित अनुभव अथवा अर्हताएं/उभरते क्षेत्रों में अनुभव होना शामिल है।

(iii) एसईआरबी की अपेक्षाओं और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, एक सक्षम निकाय द्वारा आवेदकों के जीवन-वृत्त (सीवी) की जांच की जाएगी, जिसमें विभिन्न विषयों/क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होंगे तथा साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने के लिए अभ्यर्थियों की छंटनी और चयन बेहतर अभ्यर्थी की उपयुक्तता और उपलब्धता पर आधारित होगा।

3. **साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों में से ऐसे अभ्यर्थियों का एक पैनल तैयार किया जाएगा, जो परिणाम घोषित होने की तिथि से 12 महीनों (1 वर्ष) तक वैध रहेगा। यह पैनल यथा अधिसूचित उत्पन्न रिक्तियों (जिसमें एसईआरबी के वैज्ञानिकों के त्याग पत्र देने अथवा उच्चतर पदों पर चयन हो जाने के कारण उत्पन्न रिक्तियां शामिल हैं) को भरने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है।** अभ्यर्थियों, जिन्हें साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया जाता है/नियुक्ति के लिए चयनित नहीं किया जाता है, से प्राप्त पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। **किसी भी रूप में निवेदन/बहस को अभ्यर्थी की अनर्हता माना जाएगा।**

4. साक्षात्कार के लिए बाहर से आमंत्रित अभ्यर्थी को देश के भीतर रेलवे टिकट प्रस्तुत करने पर, उनके वर्तमान निवास/कार्य स्थल सेलघुतम रूट से आने जाने की यात्रा का द्वितीय श्रेणी, वातानुकूलन रेल किराया दिया जाएगा।

5. चयनित अभ्यर्थी को भारत में और इसके बाहर कहीं भी सेवा करनी होगी।

6. **आवेदन कैसे करें :**

(क) आवेदन, मोटे सादा कागज़ (ए-4 आकार, 210x297 मि.मि.) पर नीचे दिए गए निर्धारित प्ररूप में स्वच्छ रूप से टंकित किया होना चाहिए।

(ख) अभ्यर्थी को आवेदन में सबसे ऊपर विशेष रूप से यह उल्लेख करना चाहिए कि वे इस पद के लिए सीधी भर्ती के आधार पर अथवा प्रतिनियुक्ति / आमेलन आधार पर आवेदन कर रहे हैं, जैसा कि "विज्ञापन सूचना" के पैरा संख्या 1 में उल्लिखित है।

सीधी भर्ती के आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदनों पर प्रतिनियुक्ति/आमेलन आधार पर चयन के लिए विचार नहीं किया जाएगा और प्रतिनियुक्ति/आमेलन आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदनों पर सीधी भर्ती के आधार पर चयन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

(ग) सरकारी विभागों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त संगठनों में कार्य कर रहे अभ्यर्थियों को, अपना आवेदन उचित माध्यम से आवेदन प्राप्त होने की निर्धारित अंतिम तिथि के अंदर, सक्षम प्राधिकारी से "अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी)" के साथ भेजना होगा। **यदि आवेदन, प्राप्त होने की अंतिम तिथि के पश्चात् आवेदन प्राप्त होता है, तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा।**

(घ) शैक्षिक अर्हताओं, जन्मतिथि, दिव्यांगता, यदि कोई हो, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुभव आदि के समर्थन में प्रमाण पत्रों की साक्ष्यांकित प्रतियां आवेदन के साथ संलग्न की जानी चाहिए। मूल प्रमाण पत्र अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करने होंगे।

(ङ) ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आरक्षण मांगने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया आय और परिसम्पत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। विहित प्ररूप और ऐसे प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के संबंध में विवरण कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के कार्यालय ज्ञापन सं.36039/1/2019-स्था.(रेज.) दिनांक 31 जनवरी 2019 में दिए गए हैं।

(च) पूर्ण रूप से भरे गए आवेदन, एक मुहरबंद लिफाफे में, जिसके ऊपर "वैज्ञानिक 'जी' अथवा वैज्ञानिक 'सी' (जो भी मामला हो) के पद के लिए आवेदन" लिखा हो, पंजीकृत डाक द्वारा अथवा स्पीड पोस्ट से अवर सचिव (एसईआरबी), विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड, 5 और 5ए, निचला भू-तल, वसंत स्क्वॉयर मॉल, वसंत कुंज, नई दिल्ली - 110070 को सम्बोधित, "रोजगार समाचार" (अंग्रेजी संस्करण) में विज्ञापन के प्रकाशित होने के 60 दिनों के अन्दर भेजना होगा। असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य का लद्दाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहुल और स्पीति जिला तथा चम्बा जिला का पांगी उप मंडल, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के आवेदन "रोजगार समाचार" (अंग्रेजी संस्करण) में विज्ञापन के प्रकाशन के 75 दिनों के अंदर अवश्य पहुँच जाने चाहिए।

(छ) अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों, अथवा किसी भी प्रकार से अधूरे आवेदनों को सरसरे तौर पर निरस्त किया जा सकता है। डाक विभाग की ओर से आवेदनों के प्राप्त होने में किसी प्रकार के विलम्ब के लिए बोर्ड जिम्मेदार नहीं होगा, चाहे वे अंतिम तिथि से पहले ही क्यों न भेजे गए हों। इस प्रकार से निरस्तीकरण के खिलाफ किसी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ज) अभ्यर्थियों को यह भी सुझाव दिया जाता है कि वे अपने आवेदन साधारण डाक द्वारा अथवा कूरियर के माध्यम से न भेजें। तथापि, यदि अभ्यर्थी स्वयं आकर अपना आवेदन देना चाहते हैं, तो वे अपना आवेदन किसी कार्य दिवस को 09:30 बजे (पूर्वाह्न) से 05:30 बजे (अपराह्न) तक एसईआरबी के परिसर में रखे गए "ड्राप बॉक्स" में डाल सकते हैं। एसईआरबी द्वारा इसकी कोई पावती नहीं दी जाएगी।

7. सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा

पद की श्रेणी	**आयु सीमा**
वैज्ञानिक 'जी'	50 वर्ष
वैज्ञानिक 'सी'	35 वर्ष

(सरकारी कार्मिकों को केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, 5 वर्ष की छूट दी जाएगी)

टिप्पणी : **आयु सीमा निर्धारिण की निर्णायक तिथि भारत के अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि होगी** (न कि असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य का लद्दाख डिविजन, हिमाचल प्रदेश के लाहुल और स्पीति जिला तथा चम्बा जिला का पांगी उप मंडल, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्रों के अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि होगी)

8. **हकदारी और भत्ते :**

(क) **सीधी भर्ती :** एसईआरबी के नियमों और विनियमों के अनुसार
(ख) **प्रतिनियुक्ति :** केन्द्र सरकार के नियमों/एसईआरबी के नियमों और विनियमों के अनुसार

9. **आरक्षण मानदंड :** केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, आरक्षण केवल सीधी भर्ती के आधार पर भरे जाने वाले पद के लिए लागू होगा और प्रतिनियुक्ति/आमेलन आधार पर भरे जाने वाले पदों के लिए नहीं होगा।

10. **परिवीक्षा :** (1) वैज्ञानिक 'जी' और वैज्ञानिक 'सी' के रूप में सीधी भर्ती के आधार पर नियुक्त अभ्यर्थी एक वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन होंगे। (2) नई नियुक्ति के अधिकारी को, परिवीक्षा अवधि के पूरा होने के पश्चात् और इस अवधि के दौरान प्राधिकारी द्वारा उनकी सेवाएं और आचरण संतोषजनक पाए जाने पर ही स्थाई किया जाएगा। (3) परिवीक्षा अवधि के दौरान, किसी कार्मिक की सेवा और आचरण संतोषजनक न पाए जाने पर, कार्मिक को इसमें सुधार लाने का एक और अवसर प्रदान करने के लिए परिवीक्षा अवधि को प्राधिकारी की मर्जी से बढ़ाया जा सकता है। (4) आपवादिक मामलों को छोड़कर, परिवीक्षा की बढ़ाई गई अवधि दो वर्षों से अधिक नहीं होगी अर्थात् परिवीक्षा की सामान्य अवधि (एक वर्ष) से दुगनी तक होगी। (5) यदि किसी कार्मिक की सेवा और आचरण परिवीक्षा अवधि अथवा बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के अंत तक भी संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।

11. निम्नलिखित विषयों में विशेषज्ञता प्राप्त अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी।

क्रम सं.	पद	विषय
1.	वैज्ञानिक 'जी'	(i) रसायन विज्ञान (ii) इंजीनियरी विज्ञान (iii) जीवन विज्ञान
2.	वैज्ञानिक 'सी'	इंजीनियरी विज्ञान, रसायन इंजीनियरी को वरीयता।

12. **कृपया ध्यान दें :**

(i) **विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड के अधिकारी/स्टाफ केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम (सीजीएचएस) में शामिल नहीं हैं। तथापि, जहां तक चिकित्सा सुविधाओं का संबंध है, एसईआरबी के अधिकारियों पर एसईआरबी के विनियम लागू होते हैं।**

(ii) **विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड के अधिकारी/स्टाफ आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, सम्पदा निदेशालय के सामान्य पूल से आवासीय मकान के आवंटन के पात्र नहीं हैं। तथापि, एसईआरबी के अधिकारी/स्टाफ एसईआरबी के विनियमों में विहित प्रावधानों के अनुसार मकान किराया भत्ता पाने के हकदार होंगे।**